हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/5/25 पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक- 9/6/25 को पेश हो।

6/9/25

पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 20/6/2025 को पेश हो।

20/6/25

पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/6/25 को पत्रावली पेश हो।

25/6/2025 पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक 9/7/2025 को पेश हो।

4/8/25

पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14/8/25 को पेश हो।

14/8/25 → पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील गांधी ने कथन किया की हमें विवादित भूमियों का खातेदार हुँ। मेरी भूमियों के पड़ौसी खातेदारों से सीमा विवाद होने के कारण मैं पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हुँ। मैंने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
	मेरी भूमि के पड़ौसी काश्तकारो को पक्षकार बनाया है। इन्होने जवाब मे मौके पर रास्ता होना अंकित किया है पर मौके व रिकॉर्ड में कोई रास्ता अंकित नही है। L.R. Act मे पत्थरगढ़ी से पहले सीमाज्ञान करवाने के कोई प्रावधान अंकित नही है। पत्थरगढ़ी किये जाने से किसी के स्वामित्व व कब्जे का निर्धारण नही होता है। प्रा०पत्र स्वीकार किया जावें। खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की अप्रार्थी मौजा रिकॉर्ड अनुसार पड़ौसी खातेदार है। इन्होने अन्य लोगो को क्यो पक्षकार बनाया? प्रार्थी व हमारे भूमियो के मूल ख०न० 549 है, जिनमे से हम अलग² ख०न० पर काबिज काश्त है। दोनो खसरो के बीच मे आम रास्ता माल मे जाने का मौके पर बना हुआ है, जो ख०न० 1298/549 के के पश्चिम भाग से होकर जा रहा है। उक्त रास्ता भूमियो आवंटन होने से पहले का बना हुआ है। रिकॉर्ड पर पड़ौसी काश्तकारों मौके पर विपरित स्थिति मे काबिज काश्त है। ये स्वच्छ हाथों से न्यायालय मे नही आये है पत्थरगढ़ी के माध्यम से पूरे गॉव का रास्ता बन्द हो जायेगा। इसी न्यायालय मे हमने धारा 251(क) R.T. Act मे पेश किया हुआ है, जो विचाराधीन है। ये यहां गलत तथ्यो के आधार पर मौके पर बने रास्ते को बन्द करना चाहते है। प्रा०पत्र खारीज किया जावें। हमने बहस वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर	

उपखण्ड अधिकारी
छिपाबड़ौद

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र मे अंकित तथ्यो के अलावा ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया की जिससे की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवादित भूमियों की सीमा सम्बन्धी विवाद रहा हो, चल रहा हो, एवं नाही वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब मे अंकित रास्ते बाबत को साक्ष्य/ दस्तावेज खण्डन मे पेश किये है, जिससे प्रकरण की प्रमाणिकता पर संदेह नही किया जा सके। प्रथमत: विवाद भौंके पर बने रास्ते बाबत होना जाहिर आया है, जिस बाबत प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है, यदि रास्ते मे प्रार्थी की भूमि आ रही होगी तो वस्ल निर्णय प्रार्थी के हको/अधिकार का निर्धारण कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विवेचनुसार प्रार्थना-पत्र प्रार्थी संदेह से परे साबित नही होने/प्रमाणित नही होने से खारीज खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर याद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली